



भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद

INDIAN COUNCIL OF FORESTRY RESEARCH & EDUCATION
(पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की एक स्वायत्त परिषद)
(An Autonomous body under the Ministry of Environment Forest & Climate Change)

पी.ओ.न्यू फारेस्ट, देहरादून - 248006 (उत्तराखंड)

P.O. New Forest, Dehradun - 248 006 (UK)



संख्या / No.

01/PO/Purchase Committee/Admin/ICFRE/2025-26

दिनांक /Dated:

26.10.2026

कार्यालय आदेश

विषय: स्थानीय क्रय समिति तथा तकनीकी एवं वित्तीय मूल्यांकन समिति का पुनर्गठन।

सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन अनुसार, परिषद् मुख्यालय में क्रय संबंधी कार्यों के सुचारु निष्पादन, पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा निविदाओं के मूल्यांकन की प्रक्रिया को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के उद्देश्य से स्थानीय क्रय समिति तथा तकनीकी एवं वित्तीय मूल्यांकन समिति का निम्नानुसार पुनर्गठन किया जाता है:

स्थानीय क्रय समिति

1	प्रमुख, सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग	अध्यक्ष
2	अनुभाग अधिकारी, बजट	सदस्य
3	भंडार अधिकारी	सदस्य
4	क्रय अधिकारी/प्रभारी क्रय अधिकारी	सदस्य सचिव
5	संबंधित मांगकर्ता	सदस्य

समिति के अधिकतम एक सदस्य की अनुपस्थिति की स्थिति में शेष उपस्थित सदस्यों द्वारा समिति की कार्यवाही पूर्ण की जा सकेगी। तथापि, प्रभारी, क्रय अनुभाग की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

तकनीकी एवं वित्तीय मूल्यांकन समिति

1	संबंधित मांगकर्ता निदेशालय/प्रभाग के सहायक महानिदेशक/प्रमुख	अध्यक्ष
2	प्रमुख, सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग	सदस्य
3	श्री मनीष कुमार, वैज्ञानिक-सी, भावाअशिप (मु.)	सदस्य
4	श्री विश्वजीत शर्मा, वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, भावाअशिप (मु.)	सदस्य
5	क्रय अधिकारी/प्रभारी, क्रय अनुभाग	सदस्य
6	अनुभाग अधिकारी, बजट	सदस्य
7	संबंधित मांगकर्ता	सदस्य सचिव

समिति के अधिकतम दो सदस्यों की अनुपस्थिति की स्थिति में शेष उपस्थित सदस्यों द्वारा समिति की कार्यवाही पूर्ण की जा सकेगी। तथापि, प्रभारी, क्रय अनुभाग की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

(I) प्रारंभिक तकनीकी मूल्यांकन: संबंधित मांगकर्ता प्रारंभिक तकनीकी मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार कर समिति के अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार रिपोर्ट की समीक्षा एवं निविदाओं का मूल्यांकन किया जाएगा।

(II) उपर्युक्त समितियाँ क्रय एवं निविदा संबंधी कार्यों का निष्पादन प्रचलित सामान्य वित्तीय नियमों (GFR), भारत सरकार के लागू दिशा-निर्देशों के अनुरूप सुनिश्चित करेंगी।

Digitally signed by
Sushant Kumar
Date: 27-10-2026
09:37:15

(सुशांत कुमार, भा.व.से.)

सहायक महानिदेशक (प्रशासन)

प्रतिलिपि:

1. वरिष्ठ निजी सहायक, महानिदेशक को महानिदेशक महोदय के सूचनार्थ।
2. सभी उप-महानिदेशक, निदेशक (अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग), सचिव, भावाअशिप (मु.) को सूचनार्थ।
3. संबंधित सभी समिति सदस्यों को सूचनार्थ।
4. सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग को परिषद् के वेबसाइट में अपडेट करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।
5. कार्यालय प्रति।